XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन 1532–दो / 15 रेस्टो. 1532-II/15 जिला–रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–7–15	आवेदक की ओर से श्री एस.पी.धाकड., अभि. उप. । उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया । आवेदक अभि. के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। विचारोपरान्त प्रकरण में अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

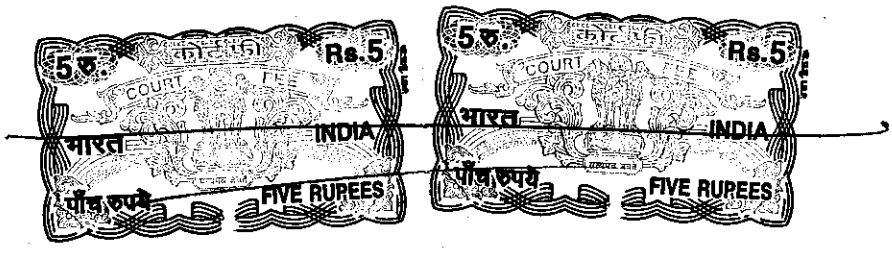

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. 1532/2015 रेंस्टो. नि.रिवा

बैजनाथ

––– आवेदक

विरूद्ध

भगवानदीन ––– अनावेदक

प्रकरण में शीघ्र सुनवाई किये जाने वाबत्

मान्यवर,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की है, जिसमें पेशी दिनांक 31.07.2015 नियत है। एवं मूल प्रकरण को नम्बर पर लिया जाये।

2. यह कि, प्रकरण में शीघ्र सुनवाई कर अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख आ चुका है। इसलिये प्रकरण का निराकरण किया जाना न्यायोचित होगा।

3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण लंबित है। प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर पारित किया जाना न्यायोचित होगा।

4. यह कि, प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया जाना है तथा अनावेदकगण उपस्थित हो चुके है। इस कारण उक्त प्रकरण में शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का निराकरण गुणदोशों पर पारित किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः श्रीमान से विनम्र प्रार्थना है कि, उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए शीघ्र सुनवाई कर मूल प्रकरण को नं. पर लिये जाने की कृपा करें।

स्थान :– ग्वालियर

दिनांक :–09.07.2015

आवेदक

द्वारा अभिभाषक

एस.पी. धाकड़(एड)